[illegible]
पेश हो। (हस्ताक्षर)

7/11/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादिया
उप0। वकील वादिया द्वारा लालु
की माता जारेन्दा वादिया होने एवं माता
की मृत्यु पिता से पहले होने का
शपथ पत्र पेश किया गया।
वकील वादिया की बहस
अनुसार एवं पत्रावली में उपलब्ध
दस्तावेजों के आधार पर वादिया
को खातेदार काश्तकार घोषित किया
जाता है। नामा० नं. 232 दि. 15.6.19
को शून्य घोषित किया जाता है। तहसील
माण्डल विरासत की पुनः जांच कर
नए सिरे से नामा० दर्ज करें।

हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम

विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
माण्डल (भीलवाड़ा)

यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) माण्डल जिला भीलवाड़ा

ठासीन अधिकारी :— मेधा आनन्द, आई.ए.एस.
करण संख्याः— 37 / 2023 राजस्व वाद

उनवान

ामती रूकमा पुत्री स्व. श्री लालू जी, पत्नी श्री हीरालाल जी बलाई उम्र व्यस्क निवासी रूपपुरा हाल निवासी झाडोल तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ (राज0)

बनाम

1— श्री मदन पुत्र श्री मोहन बलाई उम्र व्यस्क निवासी रूपपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाडा
2— श्री गोपाल पुत्र श्री मोहन बलाई उम्र व्यस्क निवासी रूपपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाडा(राज0)
3— श्री दिनेश पुत्र श्री ज्वारा बलाई उम्र व्यस्क निवासी रूपपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाडा(राज0)
4— श्री राजू पुत्र श्री ज्वारा बलाई उम्र व्यस्क निवासी रूपपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाडा(राज0)
5— श्रीमती लीला पत्नी श्री ज्वारा बलाई उम्र व्यस्क निवासी रूपपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाडा(राज0)
6— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब मांडल जिला भीलवाडा
7— उपपंजीयक महोदय मांडल जिला भीलवाडा।
8— भीलवाडा अजमेर क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लुहारिया तहसील मांडल जिला भीलवाडा

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थितः— श्री नरेन्द्र कुमार बलाई (अधिवक्ता वादिया)
श्री अब्दुल रसीद पठान (अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5) .

निर्णय

दिनांक 07.11.2025

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया द्वारा एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 92(क) एवं 188 के अन्तर्गत दिनांक 27.07.2023 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र अनुसार ग्राम रूपपुरा, पटवार हल्का लुहारिया, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 139 में आराजी नंबर 316 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, आराजी संख्या 324 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी संख्या 325 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, आराजी संख्या 326 रकबा 0.3162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 328 रकबा 0.2276 हेक्टेयर, आराजी संख्या 337 रकबा 0.2529 हेक्टेयर, आराजी संख्या 342 रकमबा 0.1644 हेक्टेयर, आराजी संख्या 346 रकबा 0.2529 हेक्टेयर, आराजी संख्या 347 रकबा 0.0759 हेक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 1.7452 हेक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी संख्या

01 व 02 के स्वर्गीय पिता मोहन एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 के स्व0 दादा/दादीया ससूर मोहन के नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकन है जों उक्त आराजियात वादिया एवं प्रतिवादी 01 लगायत 05 की पुश्तैनी आराजियात है। वादपत्र में वर्णित सजरे अनुसार मुताबिक वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के परिवार में मुख्य पुरूष बख्तावर जी थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा उनके तीन पुत्र पन्ना, लालू व मोहन जी हुये है तथा पन्ना लाऔलाद फोत हो चुका है तथा लालूजी व मोहन जी की मृत्यु हो चुकी है तथा लालूजी के विधिक वारिसान रूकमा वादिया है तथा मोहन जी के विधिक वारिसान मदन, ज्वारा, गोपाल है जिसमें से ज्वारा की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान लीला, दिनेश व राजू है। वादपत्र में वर्णित आराजीयात संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पदा है, जो कि स्व0 बख्तावर जी के समय की होकर पुश्तैनी एवं मौरूसी आराजियात है तथा आराजियात पूर्व में वादिया के स्व. पिता लालू का 1/3 हक हिस्सा था तथा वादिया के पिता लालूजी की मृत्यु हो जाने से वादिया का उक्त आराजियात में 1/3 हक हिस्सा निहित है तथा वादिया स्वर्गीय लालूजी की पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस है। जिसमें सभी पक्षकारान का संयुक्त रूप से कब्जा एवं उपभोग चला आ रहा है, जिसका विभाजन नहीं हो रखा है इसके बावजूद भी उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियात को प्रतिवादी सं0 01 लगायत 05 अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर विक्रय, रहन बय बख्शीस एवं अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, जबकि उक्त आराजी अविभाजित होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी एवं मौरूसी जायदाद है एवं विधिनुसार विभाजन नहीं होने की सूरत में प्रतिवादी सं0 01 लगायत 05 किसी प्रकार से उपरोक्त वर्णित आराजियात को विक्रय, रहन इत्यादि नही कर सकते है परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 उक्त आराजियात को विक्रय, रहन मय बख्शीस करने पर आमादा है, जबकि वादिया लालू जी की पुत्रीया होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है, इसलिये वादिया का 1/3 हक हिस्सा निहित होकर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अतः उक्तानुसार ही वादिया के हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में बहैसियत खातेदार अंकन करवाया जावे। वादिया के पिता स्व0 लालू जी की मृत्यु के उपरांत प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के स्व0 पिता मोहन एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 के स्वर्गीय दादा/दादीया ससूर मोहन ने राजस्व राजस्व कर्मियों से मिली भगत कर वादिया स्व. लालू जी की जांयदा पुत्री होने एवं विधिक प्रथम श्रेणी की वारिस होने के उपरांत जो इंतकाल संख्या 232 दिनांक 15.06.1991 को खुलवाया, जो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के स्व0 पिता मोहन एवं प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 के स्वर्गीय दादा/दादीया ससूर मोहन ने राजस्व राजस्व कर्मियों से खुलवाया है, जो वादिया के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य एवं बेअसर है, क्योंकि जो इंतकाल राजस्व कर्मियों द्वारा खोला गया वह प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के स्व0 पिताजी मोहन एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 के स्वर्गीय दादा/दादीया ससूर मोहन के नाम पर खोला गया, जो सरासर गलत है जबकि वादिया ही मृतक लालजी की जांयदा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस होने से स्व0 लालू का इंतकाल वादिया के नाम पर भी खोला जाना चाहिये था, जो नहीं खोला गया, और उक्त इंतकाल पर यह अंकित कर दिया गया कि लालू फौत हो चुका है करीब 6 माह से एक पुत्री रूकमण है तथा ससूराल में रहती है, अपना नाम खाते में दर्ज करवाने से इंकार है तथा काका श्री मोहन के नाम पर दर्ज करवाने में रजाबंद है अंकित कर दिया जिस पर वादिया के न तो कोई हस्ताक्षर और न ही कोई सहमति अंकित की है केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 01

लगायत 02 के स्व. पिता मोहन एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 के स्व0 स्वर्गीय दादा/दादीया ससूर मोहन ने राजस्व राजस्व कर्मियों से मिलकर लालजी की आराजियात को हडप करने की गरज से लालूजी की आराजियात का नागान्तकरण अपने नाम पर खुलवा लिया है जो कतई न्यायोचित एवं विधिसम्मत् नही होने से वह इंतकाल वादिया के हक हिस्से के मुकाबले शून्य एवं बेअसर किये जाने की घौषणा किया जाना भी न्यायोचित एवं विधि सम्मत् है। इसी अनुसार वादिया को वादग्रस्त आराजियात में वादिया का 1/3 हक हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में उसी अनुसार अमल दरामद किया जाना न्यायोचित है। वादिया ने समस्त रेकार्ड की नकले ली तो वादिया को जानकारी हुई कि स्वर्गीय लालूजी के नाम पर दर्ज आराजियात का विरासत का नामान्तरकरण अकेले प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के स्वर्गीय पिता मोहन एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 के स्वर्गीय दादा/दादीया ससूर मोहन को कोई वैधानिक अधिकार नहीं था क्योंकि लालूजी की एकमात्र जाईन्दा पुत्री वादिया ही है और अब प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 जबरन वादिया को वादग्रस्त आराजियात के अपने 1/3 हक हिस्से से बेदखल करने एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 उक्त आराजियात का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाकर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 उक्त आराजियात को अन्य लोगो का विक्रय रहन बख्शीस करने पर आमादा है। इस कारण वादिया को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वाद बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 की और से अधिवक्ता श्री अब्दुल रसीद पठान द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु उचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। शेष प्रतिवादीगण की विधिवत् तामिल के बावजूद कोई उपस्थित नहीं है। अतः प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

उपरोक्त के अलावा वादिया ने स्वंय साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र स्वंय उपस्थित होकर वादपत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए इस आशय से पेश किया की वह स्वर्गीय लालुजी की जांयदा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है। वादग्रस्त आराजियात पर वादिया एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 काबिज काश्त है। अतः वादिया के पिता की मृत्यु उपरान्त खोले गए नामान्तकरण संख्या 232 दिनांक 15.06.1991 को शून्य एवं बेअसर घोषित करते हुए वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादिया की और से गवाह के रूप में श्री नारायण पुत्र लेहरू जाट निवासी केरियाखेड़ा एवं श्री छीतर पुत्र मांगीलाल गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ कुंजा का खेड़ा द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होकर शपथकर्ता के पास में स्थित है तथा वर्तमान रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादिया श्री लालु जी एक मात्र जाईन्दा पुत्री होकर वादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त है। साथ ही वादिया द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादिया की माता का पिता के जीवित रहते हुए ही मृत्यु हो जाने से वादपत्र में नाम अंकित नहीं किया गया।

उपरोक्त सभी के अवलोकन व कानूनी प्रावधानों व दृष्टांतो के मध्यनजर यह स्पष्ट है कि लालु पिता बगतावर के मृत्युपरांत खोले गए नामान्तकरण संख्या 232 दिनांक 15.06.1991 जिसमें वादिया प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होकर 1/3 हक हिस्से की संयुक्त खातेदार होने के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 3 लगायत 5 के दादा/दादा ससुर के नाम नामान्तरण खोला गया जो शून्य एवं बेअसर होकर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मेरा यह मत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 92(क) एवं 188 के अन्तर्गत वादिया को उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के साथ संयुक्त खातेदार घोषित किया जाकर वादिया के हक व हिस्से मुकाबले शून्य व बेअसर घोषित जाना उचित है।

आदेश

अतः वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादिया के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के विरूद्व इस आशय की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री पारित की जाती हैं कि ग्राम रूपपुरा, पटवार हल्का लुहारिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 139 में आराजी नंबर 316 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, आराजी संख्या 324 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी संख्या 325 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, आराजी संख्या 326 रकबा 0.3162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 328 रकबा 0.2276 हेक्टेयर, आराजी संख्या 337 रकबा 0.2529 हेक्टेयर, आराजी संख्या 342 रकमबा 0.1644 हेक्टेयर, आराजी संख्या 346 रकबा 0.2529 हेक्टेयर, आराजी संख्या 347 रकबा 0.0759 हेक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 1.7452 हेक्टेयर स्थित है, में वादिया का 1/3 हक हिस्सा स्वर्गीय लालु की विधिक वारिसान पुत्री वादिया होने से वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही नामान्तकरण संख्या 232 दिनांक 15.06.1991 को शून्य घोषित करके तहसीलदार माण्डल को निर्देशित किया जाता है कि वे पुनः विधिक वारिसानों की जांच कर नए सिरे से नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया व डिक्री बहक वादिया पृथक से जारी की जाती है।

(मेधा आनन्द आई.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर माण्डल
जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर
माण्डल, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) माण्डल जिला भीलवाड़ा

:: मूल वाद में अंतिम डिक्री ::

आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.

पीठासीन अधिकारी :– मेघा आनन्द, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 37/2023 राजस्व वाद

उनवान

श्रीमती रूकमा पुत्री स्व. श्री लालू जी, पत्नी श्री हीरालाल जी बलाई उम्र व्यस्क निवासी रूपपुरा हाल निवासी झाडोल तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ (राज0)

वादिया

बनाम

1– श्री मदन पुत्र श्री मोहन बलाई उम्र व्यस्क निवासी रूपपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाडा

2– श्री गोपाल पुत्र श्री मोहन बलाई उम्र व्यस्क निवासी रूपपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाडा(राज0)

3– श्री दिनेश पुत्र श्री ज्वारा बलाई उम्र व्यस्क निवासी रूपपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाडा(राज0)

4– श्री राजू पुत्र श्री ज्वारा बलाई उम्र व्यस्क निवासी रूपपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाडा(राज0)

5– श्रीमती लीला पत्नी श्री ज्वारा बलाई उम्र व्यस्क निवासी रूपपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाडा(राज0)

6– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब मांडल जिला भीलवाडा

7– उपपंजीयक महोदय मांडल जिला भीलवाडा।

8– भीलवाडा अजमेर क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लुहारिया तहसील मांडल जिला भीलवाडा

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र कुमार बलाई (अधिवक्ता वादिया)

श्री अब्दुल रसीद पठान (अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5)

निर्णय

दिनांक 07.11.2025

अतः वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादिया के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के विरूद्व इस आशय की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री पारित की जाती हैं कि ग्राम रूपपुरा, पटवार हल्का लुहारिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 139 में आराजी नंबर 316 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, आराजी संख्या 324 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी संख्या 325 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, आराजी संख्या 326 रकबा 0.3162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 328 रकबा 0.2276 हेक्टेयर, आराजी संख्या 337 रकबा 0.2529 हेक्टेयर, आराजी संख्या 342 रकमबा 0.1644 हेक्टेयर, आराजी संख्या 346 रकबा 0.2529 हेक्टेयर, आराजी संख्या 347 रकबा 0.0759 हेक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 1.7452 हेक्टेयर स्थित है, में वादिया का 1/3 हक हिस्सा स्वर्गीय लालु की विधिक वारिसान पुत्री वादिया होने से वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही

नामान्तकरण संख्या 232 दिनांक 15.06.1991 को शून्य घोषित करके तहसीलदार माण्डल को निर्देशित किया जाता है कि वे पुनः विधिक वारिसानों की जांच कर नए सिरे से नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करें।

यह डिक्री आज दिनांक 07.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(मेधा आनन्द आई.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, माण्डल
जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर
माण्डल जिला भीलवाड़ा